मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक .04.2018

आदेश

क्रमांक/एफ–12–04/2017/17/मेडि–1 : राज्य शासन एतद् द्वारा श्री आर.सी. सक्सेना, (सेवानिवृत्त) संयुक्त कलेक्टर को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों के विभागीय जांच के प्रकरणों को निपटाने हेतु निम्नानुसार शर्तों के अधीन विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है :–

(एक) आवंटित प्रकरणों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार मानदेय देय होगा।

(दो) नियुक्त सेवानिवृत्त विभागीय जांच अधिकारी सेवा निवृत्त के समकक्ष पद या उससे ऊपर वाले पद के अधिकारी की विभागीय जांच नहीं कर सकेगा।

(तीन) नियुक्त सेवानिवृत्त विभागीय जांच अधिकारी द्वारा विभागीय जांच दो माह में पूर्ण की जायेगी।

(चार) ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी को सक्षम अधिकारी द्वारा कभी भी बिना कारण बताये हटाया जा सकेगा या उससे कार्य वापस लिया जा सकेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी स्वंय भी लिखित सूचना देकर कार्य से पृथक हो सकेगा, परन्तु उसे एक सप्ताह के भीतर सभी रिकार्ड सक्षम अधिकारी को सौंपना होगा।

(पांच) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/6–9/99/3/एक, दिनांक 02.07.1999 की कण्डिका (9) के अनुसार ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी विभागीय जांच अधिकारी की हैसियत से कार्य करते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के 12 वें खण्ड "ए" के अनुसार "लोक सेवक" ही माना जायेगा।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

C:\Users\User\Desktop\Bagde-Absent-Data\Dandadesh.doc

पृ. क्रमांक / एफ–12–04 / 2017 / 17 / मेडि–1, भोपाल, दिनांक 07.04.2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
02. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
03. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
04 संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश की ओर प्रेषित कर लेख है कि विभागीय जांच अधिकारी को विभागीय जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए राज्य स्वास्थ्य, सूचना, संचार शिक्षा ब्यूरो, जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, 1250, भोपाल में बैठने के लिए कक्ष आवंटित किया जाये साथ ही उनके कार्य के लिए एक स्टेनो टाईपिस्ट या कम्प्यूटर ऑपरेटर भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, जो विभागीय जांच का रिकार्ड भी रखेगा तथा लिखा पढी / टाईपिंग / कम्प्यूटर कार्य में सहयोग करेगा।
05. अपर संचालक (प्रशासन / वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
06. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
07. उप संचालक (विज्ञप्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
08. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश।
09. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
11. श्री आर.सी. सक्सेना, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर, लक्ष्य 2, चिनार फॉर्च्युन सिटी, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)।
12. ऑर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग